Sixteenth Loksabha

an>

Title: Papers laid on the table of the House by Members/Ministers.

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid. Shri D.V. Sadananda Gowda

THE MINISTER OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Madam Speaker, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the National Statistical Commission, New Delhi, for the years 2011-2012 to 2015-2016.

(ii) Action Taken Reports (Hindi and English versions) on the recommendations contained in the Annual Report of the National Statistical Commission, New Delhi, for the years 2011-2012 to 2015-2016.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7317/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING, AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Madam Speaker, I beg to lay on the Table a copy of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.338(E) in Gazette of India dated 10th April, 2017 under sub-section (3) of Section 18 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupant) Act, 1971.

[Placed in Library, See No. LT 7318/16/17]

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीटयूट, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीटयूट, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7319/16/17]

(3) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 5 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 333(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7320/16/17]

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, पेयजल और स्वच्छता मंत्री तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): महोदया, मैं श्री धर्मेन्द्र प्रधान की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (वाणिज्यिक)(2017 का संख्यांक 33)- मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के चरण-III विस्तार परियोजना की आयोजना और कार्यान्वयन संबंधी निपादन लेखापरीक्षा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 7321/16/17]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदया, मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2017, जो 17 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 261(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन विनियम, 2017, जो 17 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 262(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2017, जो 19 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 486(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2017, जो 19 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 487(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2017, जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 645(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन विनियम, 2017, जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 646(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) पांचवा संशोधन विनियम, 2017, जो 6 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 844(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवा संशोधन विनियम, 2017, जो 6 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 845(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7322/16/17]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) भारत संचार निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 7323/16/17]

(दो) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 201-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 7324/16/17]

(तीन) महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 7325/16/17]

(2) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत इंडियन टेलिग्राफ राईट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2017 जो 26 अप्रैल, 2017 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 407(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7326/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI P.P. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table a copy of the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.1133(E) in Gazette of India dated 7th April, 2017 under sub-section (3) of Section 169 of the Representation of the People Act, 1951.

[Placed in Library, See No. LT 7327/16/17]

12.01 hours

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

AND

BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA*